उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 पिटीसन वाद सं0 46/2020–21

अंचल अधिकारी, मसलिया..आवेदक

बनाम

रामदास हँसदा...विपक्षी

आदेश

07.09.2021 यह रे0मि0 पिटीसन वाद मौजा–हारोरायडीह, थाना नं0–10 खाता नं0–66 दाग सं0–03 रकवा–0.75 एकड़ किस्म जंगल साखु गैर–मजरूआ खास भूमि का BLR Act, 1950 की धारा 4(h) के अन्तर्गत रामदास हँसदा के नाम से संधारित जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा के साथ अपर समाहर्त्ता, दुमका द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त भूमि पर कायम संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका तथा अंचल अधिकारी, मसलिया द्वारा भी की गई है।

वाद की संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः– झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सह पठित श्री अनुप मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह– विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक–03 खा0म0नीति 119/85/2308/रा0 दिनांक–03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0–914/रा0 दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की संधारित की गई जमाबंदियों की जाँच के क्रम में अंचल अधिकारी, मसलिया द्वारा मौजा–हारोरायडीह, थाना नं0–10 खाता नं0–66 दाग सं0–03 रकवा–0.75 एकड़ किस्म जंगल साखु गैर–मजरूआ खास भूमि की जॉच की गई जिसकी जमाबंदी रामदास हँसदा के नाम से पंजी II में संधारित नहीं है, किन्तु उक्त जमीन पर उनका दखल कब्जा है, जो संदिग्ध पाई गई, उक्त जमाबंदी में सक्षम प्राधिकार का आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, मसलिया द्वारा अवैध संदेहात्मक संधारित जमाबंदी को BLR Act, 1950 की धारा 4(h) के तहत् रद्द करने की अनुशंसा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका को दी गई।

उक्त आदेश को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका तथा अपर समाहर्त्ता दुमका द्वारा अनुशंसा किया गया है।

BLR Act, 1950 की धारा 4(h) के प्रावधान निम्नवत है :–

The Collector shall have power to make inquiries in respect of any transfer including the settlement or lease of any land comprised in such estate or tenure or the transfer of any kind of interest in any building used primarily as office or cutchery for the collection of rent of such estate or tenure or part thereof, [***] and if he is satisfied that such transfer was made [at any time after the first day January, 1946, with the object of defeating any provisions of this Act or causing loss to the State or obtaining higher compensation thereunder the Collector may, after given reasonable notice to the parties concerned to appear and be heard [***] annul such transfer, dispossess the person claiming under it and take possession of such property on such property on such terms as may appear to the Collector to be fair and equitable :]

[Provided that an against an order of the Collector under this clause if preferred within sixty days of such order, shall lie to the prescribed authority not below the rank of the Collector of a district who shall dispose of the same according to the prescribed procedure:]

Provided further that no order of annulling a transfer shall take effect nor shall possession be taken in pursuance of it unless such an order has been confirmed by the State Government.]

हल्का राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी, मसलिया द्वारा जाँच प्रतिवेदन में निम्न तथ्य प्रकाशित किया गया है :–

अंचल अधिकारी, मसलिया का पत्रांक–364/रा0, दिनांक–12.07.2019 के द्वारा बी0एल0आर0एक्ट0 1950 की धारा–4(h) के तहत् अवैध जमाबंदी रदद् करने हेतु अभिलेख सं0–39/2016–17 प्राप्त हुआ है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

क0	मौजा का नाम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा (एकड़)	किस्म जमीन
1.	हारोरायडीह	10	66	03	0.75 एकड़	जंगल साखु

प्रतिवादी रामदास हाँसदा, सा0–हारोरायडीह, थाना–मसलिया के नाम पर सृजित जमाबंदी में जाँचोपरांत निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई है।

(1) जमाबंदी सृजित करने संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया।

(2) लगान निर्धारण/जमींदार से प्राप्त संबंधी पट्टा/सादा हुकुमनामा आदि कागजात नहीं पाया गया।

(3) बंदोबस्ती पट्टा भी नहीं पाया गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वर्णित जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही सृजित कर दी गई है, जो अवैध है।

अतः अंचल अधिकारी, मसलिया के अनुशंसा के आलोक में मौजा–हारोरायडीह, थाना नं0–10 खाता नं0–66 दाग सं0–03 रकवा–0.75 एकड़ किस्म जंगल साखु भूमि जो प्रतिवादी रामदास हाँसदा के नाम पर पंजी–II में दर्ज नहीं है, को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–4(h) के तहत् किया गया कायम जमाबंदी की रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

विपक्षी द्वारा नोटिश तामिला होने के बावजूद न तो लिखित बहस दाखिल किया गया और न ही अपना पक्ष रखा गया।

<u>विचारण व निर्णय</u>

सरकारी अधिवक्ता, दुमका के पक्ष को सुनने एवं सम्पूर्ण अभिलेख के साथ संलग्न कागजात के अवलोकन से निम्न तथ्य स्पष्ट होता है कि :–

(1) प्रसंगाधीन भूमि का खाता बिहार (झारखण्ड) एवं किस्म जमीन जंगल साखु है।

(2) जमाबंदी सृजित करने संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया।

(3) लगान निर्धारण/जमींदार से प्राप्त संबंधी पट्टा/सादा हुकुमनामा आदि कागजात नहीं पाया गया।

(4) बंदोबस्ती पट्टा भी नहीं पाया गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

अंचल अधिकारी, मसलिया, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका एवं अपर समाहर्त्ता, दुमका द्वारा प्रश्नगत संदेहात्मक/अवैध जमाबंदी को बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के तहत् रद्द करने योग्य बताया गया है, परन्तु प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त प्रकृति भूमि की बंदोबस्ती नियमानुसार संभव नहीं है। ऐसे में धारा–4(h) के अन्तर्गत कार्रवाई समुचित नहीं प्रतीत होती है। अपितु यह मामला प्रथम दृष्टया Jharkhand Public Land Encroachment Act 2000 के अन्तर्गत आच्छादित प्रतीत होता है। उक्त भूमि का पर्चा निर्गत किया गया है तो उक्त की आधार की जाँच की आवश्यकता है तथा संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों को भी चिन्हित करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त परिस्थिति में उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रतिवेदन तथा बहस के क्रम में यह प्रतीत होता है कि संभवतः वर्णित मामले में किसी प्रकार की जमाबंदी स्थापित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी सरकारी (जंगल साखु) भूमि के Possession में है, परन्तु उस Possession का उनके पास कोई वैद्य आधार नहीं है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में जमाबंदी कायम होने का उल्लेख है, परन्तु तत्संबंधी विवरणी यथा वर्ष तथा लगान भुगतान के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञातव्य हैं कि Section 4(h) के अन्तर्गत केवल उस प्रकार के 'Transfer' की जाँच की जा सकती है, जो सन् 1946 के बाद हो, जबतक यह ascertain नहीं होता है कि वर्णित भूमि आवेदक को कैसे प्राप्त हुई, किस वर्ष में प्राप्त हुई, तथा कब्जे का आधार क्या है, Section 4(h) के अन्तर्गत निर्णय उचित नहीं होगा।

आदेश

उपरोक्त विचारणीय तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के गहन अध्ययन एवं सूक्ष्म अवलोकनोपरांत बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) का application स्थापित नहीं हो पाती है। ऐसे में अभिलेख वापस अंचल अधिकारी के पास इन बिन्दुओं पर प्रतिवेदन के आधार पर अभिलेख पर Jharkhand Public Land Encroachment Act 2000 के सुसंगत प्रावधानों तथा अन्य प्रासंगिक अधिनियमों/प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई हेतु इस निर्देश के साथ भेजी जाती है कि अंतिम निर्णय के पूर्व अंचल अधिकारी यह जाँच कर ले कि :–

(1) वादी को भूमि का कब्जा/कथित अधिकार किस वर्ष में तथा किस प्रक्रिया से प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त भूमि जिसकी जमाबंदी रामदास हॉसदा के नाम से पंजी–II में संधारित है या नहीं ?

(2) क्या वादी के पक्ष में जमाबंदी स्थापित है ? यदि हाँ तो कब से ?

(3) क्या वादी के द्वारा लगान भुगतान किया गया है ? यदि हाँ तो किस अवधि में ?

(4) क्या उपरोक्त मामला अतिक्रमण का है, अथवा वादी के उक्त भूमि पर कब्जे का कोई वैधानिक आधार है ?

अभिलेख प्राप्ति के दो सप्ताह के अंदर अंचल अधिकारी उक्त प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे। कार्रवाई के क्रम में वन विभाग से भी अभिलेख/भूमि के प्रकृति के संबंध में प्रतिवेदन अवश्यक प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2023.04.08 12:03:14 +05:30
Location: 169.254.227.244